



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234990
CG-DL-E-08042022-234990

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944 (शक)

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 8th April, 2022/Chaitra 18, 1944 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 8th April, 2022 and is hereby published for general information:—

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) ORDERS (AMENDMENT) ACT, 2022

No. 8 OF 2022

[8th April, 2022.]

An Act further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to omit Bhogta community from the list of Scheduled Castes in relation to the State of Jharkhand and the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 for inclusion of certain communities in the lists of Scheduled Tribes in relation to the State of Jharkhand.

BE it enacted by Parliament in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2022. Short title.

Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. **2.** In the Schedule to the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, in Part VIA.— C.O. 19.
Jharkhand, entry 3 shall be omitted.

Amendment of Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. **3.** In the Schedule to the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, in Part XXII.— C.O. 22.
Jharkhand,—
(i) for entry 16, the following entry shall be substituted, namely:—

“16. Kharwar, Bhogta, Deshwari, Ganjhu, Dautalbandi (Dwalbandi), Patbandi, Raut, Maajhia, Khairi (Kheri)”;

(ii) in entry 24, after “Patar”, the following shall be inserted, namely:—

“, Tamaria (Tamadia)”;

(iii) after entry 32, the following entry shall be inserted, namely:—

“33. Puran”.

DR. REETA VASISHTA,
Secretary to the Govt. of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250953
CG-DL-E-29122023-250953

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2 — अनुभाग 1क

PART II — Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2]	नई दिल्ली, शुक्रवार, 16 जून, 2023/26 ज्येष्ठ, 1945(शक)	[खंड LIX
No. 2]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2023/JYAISHTHA 26, 1945 (SAKA)	[VOL. LIX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 2023/26 ज्येष्ठ, 1945 (शक)

दि कंपनीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (2) दि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (3) दि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (4) दि सरोगेसी (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2021; (5) दि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसिस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (6) दि इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2021; (7) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड कास्ट्स एंड शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (8) दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूलड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (9) दि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022; (10) दि क्रिमिनल प्रोसीजर (आईडेंटिफिकेशन) ऐक्ट, 2022; (11) दि वेपेंस ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स (प्रोहिबिशन ऑफ अनलाफुल एक्टिविटीज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2022; (12) दि फेमिली कोर्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022 और (13) दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2022 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, Friday 16, 2023/Jyaishtha 26, 1945 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Companies (Amendment) Act, 2020; (2) The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2021; (3) The Central Vigilance Commission (Amendment) Act, 2021; (4) The Surrogacy (Regulation) Act, 2021; (5) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2021; (6) The Election Laws (Amendment) Act, 2021; (7) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2022; (8) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2022; (9) The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022; (10) The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022; (11) The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022; (12) The Family Courts (Amendment) Act, 2022 and (13) The Central Universities (Amendment) Act, 2022 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

	पृष्ठ
कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 29)	239
The Companies (Amendment) Act, 2020	
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 45)	275
The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2021	
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 46)	277
The Central Vigilance Commission (Amendment) Act, 2021	
सुरोर्गसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 47)	279
The Surrogacy (Regulation) Act, 2021	
स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 48)	299
The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2021	
निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 49)	301
The Election Laws (Amendment) Act, 2021	
संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 8)	305
The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2022	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 9)	307
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2022	
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 10)	309
The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2022	
दंड प्रक्रिया (शनाख्त) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 11)	313
The Criminal Procedure (Identification) Act, 2022	
सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 14)	317
The Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Act, 2022	
कुटुंब न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 16)	319
The Family Courts (Amendment) Act, 2022	
केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का अधिनियम संख्यांक 17)	321
The Central Universities (Amendment) Act, 2022	

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2022

(2022 का अधिनियम संख्यांक 8)

[8 अप्रैल, 2022]

झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची में से भोगता समुदाय
का लोप करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा
झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में
कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान
(अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश संक्षिप्त नाम।
(संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

संविधान
(अनुसूचित
जातियाँ) आदेश,
1950 का
संशोधन।

2. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 6क-झारखंड, की प्रविष्टि 3 का सं.आ. 19 लोप किया जाएगा।

संविधान
(अनुसूचित
जनजातियाँ)
आदेश, 1950 का
संशोधन।

3. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 22-झारखंड में,— सं.आ. 22

(i) प्रविष्टि 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“16 खरवार, भोगता, देशवारी, गंझू, दौतलबन्दी (द्वालबन्दी), पटबन्दी, राउत, माझिया, खैरी (खेरी)”;

(ii) प्रविष्टि 24 में “पतार” के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“तमरिया (तमड़िया)”;

(iii) प्रविष्टि 32 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“33. पुरान”।